प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः A.C.B O.P. Alwar-1st थानाः C.P.S, A.C.B. Jaipur वर्ष 2022

प्र.ई.रि.सं...................... 140/2022 दिनांक 25/4/2022

2.–(1) अधिनियमः भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा ......7, 7 ए

(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा....... 120 बी

(3) अधिनियम.............................. धारायें.................................

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या............453समय..............3-40 A.M.

(ब) अपराध के घटने का दिनः **शनिवार**, दिनांक 23/04/2022, समय 12.24 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 22/04/2022, समय ए.एम.

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः दक्षिण, दूरी करीब 05 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर से

(ब) पताः– **राजकीय आवास ए.आर.जी–7, सिविल लाईन अलवर**

बीट संख्या .... जरायमदेही सं........

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना ....जिला..........

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री इकबाल सिंह पूनियाँ (ब) पिता का नाम :– श्री करतार सिंह

(स) जन्म तिथि :– उम्र 52 साल (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य)पासपोर्ट संख्या......................जारी होने की तिथि.....................जारी होने की जगह

(र)व्यवसायः– कान्ट्रेक्टर

(ल)पताः– 448/5 प्रेम नगर टोहाना तहसील एवं पुलिस टोहाना, जिला फतेहबाद (हरियाणा) 126120

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1– श्री नन्नूमल पहाडिया पुत्र स्व. श्री छोटे लाल जाति खटीक, उम्र **59साल, निवासी 220 श्री गोपाल नगर, महेश नगर पुलिस थाना महेशनगर जिला जयपुर** तत्कालीन **जिला कलक्टर अलवर (राज.)**

2– अशोक कुमार साँखला पुत्र स्व. श्री प्रभाती लाल सांखला, उम्र 41 साल, **जाती खटीक, निवासी ई–503 ग्रीन एवेन्यू, आशादीप जगतपुरा हाल भू–प्रबन्धक अधिकारी** पदेन **राजस्व अपील अधिकारी अलवर हाल निवासी एआर जी–7 सिविल लाईन अलवर (राज.)।**

3– श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा, **उम्र 29 साल** निवासी पूराना **बस स्टैण्ड रोड कल्लु पाडा, खण्डेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर** हाल पेशा ड्राइवर एवं वाहन **कॉन्ट्रैक्टर (प्राईवेट व्यक्ति/दलाल)।**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण : ....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– 05,00,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 22-04–2022 को समय 07.30 ए.एम. पर श्री विजय सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों अलवर प्रथम अलवर ने मन उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे हुये व्यक्ति का परिचय श्री ईकबाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, जाति जाट, उम्र 52 साल, निवासी 448/5 प्रेमनगर टोहाना, तहसील व पुलिस थाना टोहाना, जिला फतेहबाद (हरियाणा), परिवादी के रूप में करवाते हुये परिवादी श्री इकबाल सिंह द्वारा ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री इकबाल सिंह को साथ लेकर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम में पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी श्री ईकबाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, जाति जाट, उम्र 52 साल, निवासी 448/5 प्रेमनगर टोहाना, तहसील व पुलिस थाना टोहाना, जिला फतेहबाद (हरियाणा) द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री इकबाल सिंह ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि नेशनल हाईवे नं0 148 एन दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेस–वे ग्रीनफिल्ड सडक निर्माण का कार्य हमारी कम्पनी के.सी.सी. बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा किया जा रहा है। जिसमें मैं इकबाल सिंह कम्पनी द्वारा कार्य करने का पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर हूँ। सडक निर्माण से सम्बन्धित विभागों का कार्य मैं देख रहा हूँ। इस कार्य को सुचारू रूप से निर्बाध चलने देने की एवज में जिला कलक्टर अलवर श्रीमान नन्नूमल पहाडिया और भू – प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर श्री अशोक कुमार सांखला मुझसे प्रतिमाह की मंथली रिश्वत मांगते है। जिला कलक्टर श्री नन्नूमल पहाडिया जी मुझसे 4 लाख रू0 मंथली बतौर

रिश्वत एवं श्री अशोक कुमार सांखला 50 हजार रू0 मन्थली बतौर रिश्वत मांगते है और अब वे मेरे से माह नवम्बर 2021 से फरवरी 2022 तक के 4 माह के अपने–अपने मंथली रिश्वत के पैसे मांग रहे है और मेरे उपर मंथली देने का दबाव बना रहे है। इसके अलावा हमारे निकट ग्राम माणकी, तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थापित स्टोन क्रेशर के कार्य में भी सहयोग करने एवं प्रशासनिक अडचन नही डालने के बदले में दोनों ही अधिकारी रिश्वत मांग रहे है। मैं जिला कलक्टर श्री नन्नूमल पहाडिया को एवं भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर श्री अशोक कुमार सांखला को हमारे जायज काम की एवज में मंथली/रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा इन्हे मंथली/रिश्वत राशि लेते हुये को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने जिला कलक्टर श्री नन्नूमल पहाडिया एवं श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर से कोई उधार लेन–देन बकाया नही होना और ना ही कोई रंजिश होना बताया। परिवादी श्री इकबाल सिंह ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाने पर समय 09.30 ए0एम0 पर कार्यालय की अलमारी से श्री महेश कुमार कानि0 462 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री इकबाल सिंह को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 460 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी एवं कानि. को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही के क्रम में हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरों, अलवर को अवगत करवाये जाकर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जाकर दीगर गोपनीय कार्य हेतु ए.सी.बी. चौकी अलवर द्वितीय के लिये रवाना हुआ।

तत्पश्चात दिनांक 23.04.2022 समय 07.00 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ए.सी.बी. चौकी अलवर प्रथम अलवर पर अग्रिम ट्रेप हेतु उपस्थित हुआ एवं परिवादी श्री इकबाल सिंह भी उपस्थित आया। जिसके समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मेरे निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय की आलमारी के लॉक से दिनांक 22.04.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी श्री इकबाल सिंह ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि कल दिनांक 22.04.2022 को आपके निर्देशानुसार मैं व आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 ए0सी0बी0 कार्यालय से रवाना होकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपीगणों के पास जा रहे थे कि रास्ते में श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर के मोबाईल नं0 9414033400 से मेरे मोबाईल नं0 8696630197 पर वाटसअप मिस कॉल आया, जिसके बारे में मैंने आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 को बताया, जिस पर महेश कुमार कानि0 ने मेरे मोबाईल नं0 8696630197 से संदिग्ध आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर के मोबाईल नं0 9414033400 पर समय 10.16 ए0एम0 पर वाटसअप कॉल करवाकर मेरी संदिग्ध आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया जिला कलक्टर से वार्ता करवाई तो संदिग्ध आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलेक्टर द्वारा मेरे को घण्टे–डेढ घण्टे बाद अपने निवास पर आने के लिये कहा गया। उक्त मोबाईल वार्ता को श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा मेरे मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर ए0सी0बी0 के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। इसके बाद मैं व आपका कर्मचारी, अलवर शहर स्थित जिला कलक्टर, अलवर के सरकारी आवास के पास पहुंचे जहॉ पर श्री महेश कुमार कानि0 ने ए0सी0बी0 का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मेरे को सुपुर्द किया, जिसको मैं अपने साथ लेकर संदिग्ध आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर के पास उसके सरकारी आवास पर चला गया और आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 जिला कलक्टर अलवर के सरकारी आवास के बाहर ही रूक गया था। मैं श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर के पास उसके सरकारी आवास पर गया तो श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर मुझे अपने आवास पर कार्यालय कक्ष में बैठे मिले, जिनसे मैंने उनके द्वारा मेरे से मांगी जा रही मंथली रिश्वत राशि के बारे में वार्ता कि तो उन्होने मेरे से विगत चार महिनों की मंथली रिश्वत के प्रतिमाह 4 लाख रू0 के हिसाब से 16 लाख रू0 रिश्वत की मांग की, जिस पर मैंने उक्त राशि में से 5 लाख रू0 रिश्वत के श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी को पूर्व में ही देने के बारे में बताया तो उन्होने सहमत होते हुये बकाया 11 लाख रू0 देने के लिये मुझे कहा, जिस पर मैंने श्री नन्नूमल पहाडिया जी से पूछा कि उक्त राशि आपको देनी है या फिर सांखला जी को तो उन्होने पहले तो मेरे से कहा कि आप मुझे ही दे देना कोई बात नही और बाद में कहा कि सांखला जी को दे देना, मैं उनसे ले लूंगा। मेरे व जिला कलक्टर अलवर श्री नन्नूमल पहाडिया के बीच रिश्वत मांग के क्रम में जो वार्ता हुई, उन सभी बातों को मैंने ए0सी0बी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं, जिला कलक्टर अलवर के सरकारी आवास से बाहर निकलकर आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 के पास आया और अपने पास से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर महेश कुमार को दे दिया था, जिसको महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था तथा उक्त समस्त तथ्य मैंने वही पर श्री महेश कुमार कानि0 को अवगत करवाते हुये मैंने यह भी बताया था कि मेरे को आवश्यक पारिवारिक कार्य होने से घर जाना अति–आवश्यक है और मुझे उस समय यह भी पता लगा था कि श्री अशोक कुमार सांखला, आर0ए0एस0, भू–प्रबन्ध अधिकारी अपने आवास पर मौजूद नही थे तथा सांखला जी मेरे से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्तालाप अपने आवास पर ही

करते है। इसलिए उस समय उनसे रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता नही हो सकती थी। मेरे द्वारा बताये गये उक्त समस्त तथ्य श्री महेश कुमार कानि0 ने अपने मोबाईन फोन से वही से आपको बता दिये थे और मेरी भी आपसे फोन पर वार्ता करवाई थी, तो मैने भी आपको उक्त तथ्य दिनांक 22.04.2022 को ही बता दिये थे। इसके बाद श्री महेश कुमार कानि0 ने मुझे दिनांक 23.04.2022 को प्रातः काल रिश्वत राशि सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु समय करीब 07.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत कर मेरे को वही से अपने घर जाने हेतु रवाना कर दिया था और मै वही से अपने घर चला गया था। कानि0 श्री महेश कुमार ने भी परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना तो उक्त में रिश्वत मांग सम्बन्धी उक्त तथ्य रिकार्ड होना तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया तथा परिवादी श्री इकबाल सिंह व श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई तथा संदिग्ध आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर से रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुडा डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने पास सुरक्षित रखा गया तथा संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला, भू प्रबन्ध अधिकारी, अलवर से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने हेतु समय 09.00 ए.एम. पर भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय करवाने हेतु परिवादी श्री इकबाल सिंह को राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द कर श्री महेश कुमार कानि.462 को आरोपी श्री अशोक कुमार सॉखला के पास रवाना किया गया एवं अग्रिम कार्यवाही करने हेतु गवाह तलब किये गये तो कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर से तलबशुदा गवाह श्री बृज लाल मीणा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं कार्यालय सहायक अभियन्ता (ए–3) जयपुर डिस्कॉम, अलवर से तलब शुदा गवाह श्री वैभव उपाध्याय, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, कार्यालय में उपस्थित आये। समय 10.30. ए.एम. पर बाद रिश्वत मांग सत्यापन श्री महेश कुमार कानि0 462 मय परिवादी इकबाल सिंह के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री महेश कुमार कानि0 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी श्री इकबाल सिंह ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर से रवाना होकर संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी के पास जा रहे थे कि रास्ते में श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के मोबाईल नं0 9414046660 से मेरे मोबाईल नं0 8619914400 पर समय 09.36 ए0एम0 पर फेसटाईम से कॉल आया, जिसके बारे में मैंने कॉल रिसिव करने से पूर्व आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 को बताया, तो श्री महेश कुमार कानि0 ने मेरे से मेरे मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई तो श्री अशोक कुमार सांखला ने मेरे से कहा आप आ रहे थे, अभी तक आये नही, जल्दी आओ मुझे कही बाहर जाना है। मेरे व श्री अशोक कुमार सांखला के मध्य हुई उक्त फेसटाईम वार्ता को श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा ए0सी0बी0 के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। इसके बाद मैं व आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के सिविल लाईन अलवर में स्थित राजकीय आवास एआरजी–7 के पास पहुंचे, जहॉ पर श्री महेश कुमार कानि0 ने ए0सी0बी0 का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मेरे को सुपुर्द किया, जिसको मैं अपने साथ लेकर संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी के पास उसके सरकारी आवास पर चला गया और आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 उक्त सरकारी आवास के बाहर ही रूक गया था। मैं, श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी के पास उसके सरकारी आवास पर गया तो श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी मुझे अपने आवास पर मौजूद मिले, जिनसे मैंने उनके द्वारा मेरे से मांगी जा रही मंथली रिश्वत राशि के बारे में एवं दिनांक 22.04.2022 को श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर, अलवर द्वारा मांगी गई रिश्वत के बारे में तथा कलक्टर साहब द्वारा उनकी रिश्वत राशि अशोक कुमार सांखला को देने के लिये कहने के बारे में वार्ता कि तो श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर ने मेरे से श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर के लिये गत चार महिनों की मंथली रिश्वत के प्रतिमाह 4 लाख रू0 के हिसाब से 16 लाख रू0 तथा अपने स्वयं के लिये गत चार महिनों की मंथली रिश्वत के प्रतिमाह 50 हजार रू0 के हिसाब से 2 लाख रू0 रिश्वत की मांग की, जिस पर मैंने उक्त राशि में से 5 लाख रू0 रिश्वत के श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी को जिला कलक्टर के लिये पूर्व में देने के बारे में बताया तो उन्होने जिला कलक्टर के लिये 5 लाख रू0 रिश्वत के पूर्व में प्राप्त करना स्वीकार किया तथा उनके द्वारा अपने स्वयं के लिये मांगी जा रही रिश्वत राशि 02 लाख रू0 में से कुछ राशि कम करने के लिये कहा तो वह मेरे से अपने लिये 01 लाख रू0 रिश्वत के लेने के लिये राहमत होते हुये इस प्रकार जिला कलक्टर श्री नन्नूमल पहाडिया के लिये 11 लाख एवं स्वयं के लिये 01 लाख रू0 कुल 12 लाख रू0 रिश्वत प्राप्त करने हेतु सहमत हो गया। जिस पर मैंने श्री अशोक कुमार सांखला भू–प्रबन्ध अधिकारी को 05 लाख रू0 आज दिनांक 23.04.2022 को अभी देने के लिये तथा शेष 07 लाख रू0 अगले सप्ताह शुक्रवार तक देने के लिये कहा तो श्री अशोक कुमार सांखला ने मुझे कहा कि आप अभी जल्दी ले आओ मुझे अभी बाहर जाना है। कलक्टर साहब का तो मैं पुरा हिसाब कर दूगा तथा बाकी के पैसे आप मुझे दे देना। मेरे व श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के बीच रिश्वत मांग के क्रम में जो वार्ता हुई, उन सभी बातों को मैंने ए0सी0बी0 के

उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं, अशोक कुमार सांखला के सरकारी आवास से बाहर निकलकर आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 के पास आया और अपने पास से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर महेश कुमार को दे दिया था, जिसको महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था और हम वहा से रवाना होकर आपके पास ए0सी0बी0 कार्यालय में आ गये। कानि0 श्री महेश कुमार ने भी परिवादी द्वारा बताये गये उक्त कथनों की ताईद की। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत माँग सत्यापन की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई। समय 10.40 ए. एम. पर परिवादी श्री इकबाल सिंह का परिचय पूर्व से कार्यालय में मौजूद दोनों गवाहान श्री बृजलाल मीणा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर एवं श्री वैभव उपाध्याय, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता(ए–3) जयपुर डिस्कॉम, अलवर से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री इकबाल सिंह द्वारा दिनांक 22.04.2022 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री इकबाल सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात गवाह श्री बृजलाल मीणा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं श्री वैभव उपाध्याय, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय एवं परिवादी श्री इकबाल सिंह की उपस्थिति में परिवादी श्री इकबाल सिंह तथा संदिग्ध आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर, अलवर के मध्य दिनांक 22.04.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं एवं परिवादी श्री इकबाल सिंह तथा संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के मध्य दिनांक 23.04.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर दोनों गवाहान को रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं में रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताओं के मुख्य अंश सुनाये गये, जिसमें संदिग्ध आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर, अलवर एवं श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर द्वारा रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत होना पाया गया। चूंकि परिवादी ने बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर अभी करनाल जा रहा है और उसने रिश्वत के पैसे 5 लाख रू0 लेकर मुझे अभी तुरन्त बुलाया है। इसलिए मुझे श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलेक्टर के लिये रिश्वत के 05 लाख रू0 अभी श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर को देने है, जो मैं अभी अपने साथ लेकर आया हूँ तथा शेष 7 लाख रू0 की राशि बाद मे देने हेतु मेरी सांखला से बात हो गई है। परिवादी के बतायेनुसार संदिग्ध आरोपीगण के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही शीघ्र की जानी है तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय की उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करने में समय अधिक लगेगा। अतः समय अभाव के कारण रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं की अभी ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार नही की जा सकती। इसलिए रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया। उक्त की ट्रेप कार्यवाही के दौरान बाद में ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। तत्पश्चात समय 10.50 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री इकबाल सिंह को संदिग्ध आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर के लिये संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री इकबाल सिंह ने अपने पास से 2000–2000 रूपये के 250 नोट कुल 5,00,000/–रूपये (पॉच लाख रू0) जिनमें 2000 रूपये के 100–100 नोटों की दो गिड्डी एवं 50 नोटो की एक गिड्डी निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर को पेश किये। जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित किया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 5,00,000/– रूपये के नोटों की तीनो गिड्डियों को अलग–अलग रखवाकर उक्त नोटों पर श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया तथा 5 लाख रू0 के नोटों की तीनों गिड्डियों को एक सफदे रंग की थैली में रखवाकर उक्त थैली के बाहर भी फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री इकबाल सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री वैभव उपाध्याय से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। उसकी पहनी पेन्ट की दायी साईड की जेब में केवल उसका मोबाईल एवं उसकी गाडी की चाबी ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 5,00,000/– रूपये के नोटों की उक्त थैली को श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से परिवादी श्री इकबाल सिंह के खाली बैग में रखवाकर नोटों का बैग परिवादी इकबाल सिंह को सुपुर्द किया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉफ्थलीन पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करवाकर कर उसकी उपयोगिता एवं महत्त्व के बारे मे समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री इकबाल सिंह रिश्वत राशि सुपुर्द करने पर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मन् उप अधीक्षक के मोबाईल पर मिस

कॉल कर ट्रेप पार्टी को संपनीय ईशारा करने बाबत बताया गया जिसके बारे मे दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो को बताया गया। उपरोक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय समय 11.20 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री बृजलाल मीणा, श्री वैभव उपाध्याय एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री भौरेलाल हैड कानि0 33, सियाराम कानि0 430, रामसिंह कानि0 549 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर एक प्राईवेट वाहन से तथा परिवादी श्री इकबाल सिंह एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी के प्राईवेट वाहन से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही सिविल लाईन, अलवर स्थित संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला के सरकारी आवास के लिये रवाना हुआ तथा साथ ही श्री विजय सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन कर मय श्री हरीश चन्द कानि0 503, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 288 के मय प्राईवेट वाहन के कार्यवाही के दौरान संदिग्ध आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर को डिटेन करने हेतु अवगत करवाकर रवाना सरकारी आवास जिला कलक्टर, अलवर के लिये रवाना किया गया तथा श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को कार्यालय में ही छोडा गया। समय समय 11.28 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के सिविल लाईन अलवर स्थित संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के राजकीय आवास एआरजी–7 के पास पहुंचकर परिवादी श्री इकबाल सिंह को टेपरिकार्डर चालू करवाकर संदिग्ध आरोपी श्री अशोक सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के पास उसके उक्त सरकारी आवास के अन्दर जाने के लिये रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाप्ता के मौका अनुसार अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये श्री अशोक कुमार सांखला, भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के उक्त सरकारी आवास के इर्द- गिर्द परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

दिनांक 23.04.2022 को समय 12.24 पी.एम. पर परिवादी श्री इकबाल सिंह ने राजकीय आवास सं. ARG-7 सिविल लाईन अलवर के मुख्य दरवाजे से बहार निकल कर अपने सिर पर हाथ फेर कर निर्धारित ईशारा रिश्वत राशि देने का किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, उपरोक्त दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम को हमराह लेकर उक्त राजकीय आवास जिसके मुख्य दरवाजे पर एक तरफ ARG-7 एवं दूसरी तरफ अशोक कुमार साँखला भू प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर लिखा हुआ है के मुख्य गेट पर बाहर खडे परिवादी के पास पहुंचा और उससे कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त करके उसे बंद कर अपने कब्जे लिया। तत्पश्चात उक्त आवास परिसर मे प्रवेश करते समय परिवादी ने उक्त आवास परिसर मे बने आवासीय भवन के बाहर परिसर मे खडे एक नवयुवक की तरफ ईशारा करके बताया कि यही अशोक कुमार साँखला, आर.ए.ए. है जिन्होने अभी अभी मेरे से अपने स्वंय एवं श्री नन्नूमल पहाडिया, तत्कालीन जिला कलक्टर अलवर के लिये पाँच लाख रूपये रिश्वत/ मंथली के पहले अपने दाहिने हाथ मे प्राप्त कर वापस मुझे लौटाकर मेरे से एक युवक जो सफेद रंग की स्कूटी के पास खडा था, की ओर ईशारा कर कहा कि इस लडके नितिन शर्मा को दिलवाये है। जिसने रिश्वत राशि को अपने स्कुटी की डिग्गी मे रखी है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी, दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम को अपने हमराह लेकर उक्त राजकीय आवास परिसर मे प्रवेश किया तो एक लडका जो अपनी सफेद रंग की स्कुटी के पास खडा था उसको अपने हमराह लेकर उक्त आवास के बाहर बने पोर्च के पास खडे नवयुवक के पास पहुंचा एवं उक्त दोनो व्यक्तियों को अपना एवं हमराहियान दोनो गवाहान, ब्यूरो स्टाफ का परिचय दिया तो उनके चेहरे की हवाईयाँ उड गई और उन्होने अपनी गर्दन झुका ली। तत्पश्चात उनसे उनका परिचय पूछा तो उनमे से एक नवयुवक ने अपना नाम अशोक कुमार साँखला पुत्र स्व. श्री बगाती लाल सांखला, उम्र 41 साल, जाती खटीक, निवासी ई–503 ग्रीन एवेन्यू, आशादीप जगतपुरा हाल भू–प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर होना बताया। तथा जो युवक सफेद रंग की स्कुटी के पास खडा मिला था, उसने अपना नाम पता नितिन शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा, उम्र 29 साल निवासी पूराना बस स्टैण्ड रोड कल्लुपाडा, खण्डेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर हाल पेशा ड्राइवर एवं वाहन कॉन्ट्रैक्टर होना बताया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री अशोक कुमार साँखला को परिवादी इकबाल सिंह पूनियाँ से दिनांक 23.04.2022 को माँगी गई एवं अपनी उक्त मांग के क्रम मे प्राप्त कर अभी–अभी पाँच लाख रूपये की रिश्वत राशि लेकर अपने दलाल श्री नितिन शर्मा को दिलवाने के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि आज दिनांक 23.4.2022 को सुबह करीब 9.30 ए.एम. बजे इकबाल सिंह पूनियाँ मेरे पास उक्त राजकीय आवास पर आया था। तब इसने मुझे कहाँ था कि श्री नन्नूमल पहाडियाँ तत्कालीन जिला कलक्टर अलवर का पुराना बकाया (पैण्डिग) पैसा है, वह मुझे आपको देने के लिये कलक्टर साहब ने कहा है। इस पर मुझे कही बाहर जाना था। इसलिये उस समय मैने इस इकबाल को कहा की आप नितिन शर्मा को दे जाना। यह इकबाल हमेशा मेरे पास आता जाता रहता है। उसके करीब एक घन्टे बाद यह इकबाल मेरे पास वापस इस राजकीय आवास पर आया तब नितिन शर्मा भी मेरे पास घर पर आया ही था। इकबाल ने एक सफेद थैली मे रखे हुए कुछ रूपये मुझे यह कहते हुये कि ये पैसे मुझे जिला कलक्टर ने आपको देने के लिये कहा था जो मै ले आया हूँ और आप ले लो। इस पर मैने उन नोटो को अपने हाथ मे लिये बिना ही इकबाल को उक्त नोट नितिन शर्मा को देने हेतु कहा तो उसने नितिन शर्मा को अपने हाथ मे लिये हुए सफेद थैली मे रखे हुए रूपये दे दिये। मुझे यह जानकारी नही है कि

उस थैली मे कितने रूपये थे। पूछने पर यह बताया कि मैने इकबाल से रूपये जिला कलक्टर श्री नन्नूमल पहाडिया जो वर्तमान मे जिला कलक्टर बंगले मे रह रहे है उनको देकर आने के लिये दिलवाये थे। मुझे उसने जिला कलक्टर के पुराने हिसाब मे बचे हुए रूपये होना बताया था। नितिन शर्मा मेरा पुराना ड्राईवर है तथा अभी इसकी गाडी कॉन्ट्रेक्ट पर मेरे कार्यालय मे लगाई हुई है, जिसके कारण यह मेरे पास आता जाता रहता है। मैने इकबाल को कभी भी पैसो के लिये टॉर्चर नही किया और ना ही मैने उससे अपने लिये कोई मंथली या रिश्वत के पैसे मांगे है।

इसके पश्चात श्री नितिन शर्मा को उसके द्वारा श्री अशोक कुमार सांखला द्वारा दिलवाई गई रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि मुझे श्री अशोक कुमार साँखला जी ने फोन करके अपने इस सरकारी आवास पर बुलाया जिस पर मै इनके पास आया तो इनके पास इकबाल सिंह, बैठे हुए थे। अशोक साँखला साहब ने इकबाल को उक्त रूपयो की थैली मुझे देने हेतु कहा। जिस पर इकबाल ने मुझे रूपयो की थैली दे दी जिसको मैने इकबाल से ले लिया। तब साहब ने मुझे कहा कि इनको अभी तेरे पास रख ले फिर जिला कलक्टर श्री नन्नुमल पहाडिया को दे आना। मै उन रूपयों की थैली को अपनी स्कुटी की डिग्गी मे रखकर यहां से जाने ही वाला था कि इतने मे आप लोग आ गये। आपके पूछने पर बताता हूँ कि मै श्री अशोक कुमार साँखला को गत 5–6 साल से जनाता हूँ, मेरी अनुबंध पर इनके पास गाडियॉं लगी हुई है, इसलिये मै इन्हे जानता हूँ और मै इनके बुलाने पर इनके पास आता जाता रहता हूँ। इससे पहले मेरे को अशोक कुमार सांखला जी ने कोई राशि किसी से नही दिलवाई है।

इस पर उक्त दोनो के कथनो के बारे मे परिवादी श्री इकबाल सिंह से पूछा गया तो उसने बताया कि श्री अशोक कुमार साँखला, आर.ए.ए. झूंठ बोल रहे है। नेशनल हाईवे नं. 148 दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे ग्रीन फील्ड सडक निर्माण का कार्य हमारी कम्पनी के.सी.सी. बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जिसमे मै कम्पनी का पावर ऑफ अर्टोनी होल्डर हूँ। कम्पनी के इस काम को निर्बाध सुचारू रूप से चलने देने एवं उसमे कोई प्रशासनिक अडचन पैदा नही करने एवं मेरे क्रेशर मे भी सहयोग करने की एवज मे श्री नन्नुमल पहाडिया तत्कालिन जिला कलक्टर अलवर मेरे से अपने स्वंय के लिये चार लाख रूपये मंथली की मांग कर रहे थे तथा श्री यह अशोक कुमार साँखला आर.ए.ए. भी अपने स्वंय के लिये 50 हजार रूपये मंथली की मांग कर ले रहे थे और मेरे पर मंथली की राशि जो माह नवम्बर 2021 से फरवरी 2022 तक की बकाया थी, जिसमे श्री नन्नुमल पहाडिया जी मंथली राशि 16 लाख रूपये तथा इन अशोक कुमार सांखला की 2 लाख रूपये थी, उसे देने हेतु दबाव बना रहे थे। मै इनको मंथली नही देना चाहता था। इस पर मैने दिनांक 22.4.2022 को आपके समक्ष इस बाबत रिपोर्ट पेश की। जिस पर आप द्वारा कल दिनांक 22.4.2022 को ही मुझे श्री नन्नूमल पहाडिया, तत्का. जिला कलक्टर अलवर के पास भिजवाकर उससे रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया तो उसने मुझे अपने स्वंय के लिये 16 लाख रूपये की बकाया मंथली राशि देने हेतु कहा तथा आज दिनांक 23.04.2022 को सुबह आपने मुझे इस अशोक कुमार सांखला के पास रिश्वत की मांग के सत्यापन हेतु भिजवाया तब इन्होने भी मुझे जिला कलक्टर के बकाया मंथली के 16 लाख तथा अपनी स्वंय की बकाया 2 लाख रूपये की मंथली देने हेतु कहा था। जिस पर मैने इनको कुछ देर मे रूपये लेकर आने को कहा। इस पर मेरे द्वारा आपको पेश किये गये 5.00 लाख रूपये के नम्बरी नोट पाऊडर लगे हुए एक सफेद थैली मे रखकर इनके पास इस आवास पर आया तो इन्होने मेरे से पूछा कि कितने है तो मैने कहा की पांच लाख है बाकि के मै आपको बाद मे दे दूंगा। इस पर इन्होने कहा कि कलक्टर साहब के 16 लाख बनते है तथा मेरे दो लाख बनते है। इस पर मैने इनको कम करने हेतु कहा तो इन्होने कहा कि मेरे 25 हजार के हिसाब से चार माह के एक लाख दे देना और कलक्टर साहब के पूरे 16 लाख देना। इस पर मैने कहा कि मैने कलक्टर साहब को आपको पांच लाख रूपये देने की बात कह दी है। इसलिये आप यह पांच लाख रूपये तो ले लो बाकि के मै आपको बाद मे लाकर दे दूंगा । इस पर इन्होने पहले तो मेरे से रूपयो की थैली को अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया फिर कुछ सोचकर थोडी देर बाद ही इन्होने रिश्वत राशि की थैली को पुनः मुझे देकर कहा कि मै अभी नीतिन को बुलाता हूँ उसको दे देना। इन्होने नितिन को फोन करके बुलाया और उसके आने पर इन्होने मेरे से रूपयो की थैली अपने दलाल नितिन शर्मा को दिलवा दी, जिसको नितिन ने अपनी स्कुटी की डिग्गी मे रख लिया। इसी दौरान मैने श्री नन्नुमल पहाडिया कलक्टर को अपने मोबाईल से कॉल करके श्री अशोक साँखला, आर.ए.ए. को पॉंच लाख रूपये मंथली के देने के बारे मे भी बताकर तथा उसके बाद आपको अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा किया। इतने मे आप लोग आ गये।

इस पर श्री विजय सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हालात से अवगत कराकर उन्हे श्री नन्नूमल पहाडिया, तत्कालीन जिला कलक्टर अलवर जो अभी अपने राजकीय निवास स्थान मे मौजूद है को डिटेन करने हेतु निवेदन किया गया।

तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मे रखे हुए कांच के दो साफ गिलासों को निकलवाकर उन्हे श्री अशोक कुमार सांखला के उक्त सरकारी निवास मे बने वॉशबेशन मे उक्त दोनो कांच के गिलासो को साफ पानी से घुलवाया। उक्त राजकीय आवास मे रखे हुए पीने के साफपानी मे से एक जग मे साफ पानी भरवाकर मंगवाया। जिसमे से उक्त दोनो गिलासो मे साफ पानी भरवाकर उनमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर सभी सम्बन्धित को दिखाया गया। सभी हाजरीन ने उक्त दोनों गिलासों के

घोल का रंग साफ होना स्वीकार किया। इसके बाद एक गिलास के घोल में आरोपी श्री नितिन कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो दाहिने हाथ की अगुलियों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया तो उन्होने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को कॉच की दो साफ शीशीयों में आधा--आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादी श्री इकबाल सिंह एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर धोवन की शीशीयों पर मार्क NR-1, NR-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया।

तत्पश्चात दूसरे गिलास के घोल मे आरोपी श्री नितिन के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो बांये हाथ की अगुलियों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया तो उन्होने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को कॉच की दो साफ शीशीयों मे आधा--आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादी एवं दोनो आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर धोवन की शीशीयों पर मार्क NL-1, NL-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया।

आरोपी श्री अशोक कुमार साँखला रिश्वत राशि को अपने हाथ मे लेने से मना कर रहे है तथा परिवादी इनके द्वारा भी रिश्वत राशि को अपने दाहिने हाथ मे लेकर मुझे नितिन को देने हेतु कहा था। उक्त दोनो कथनो मे विरोधाभाष होने के कारण उसकी सत्यता के लिये कि श्री अशोक कुमार साँखला, आर.ए.ए. ने रिश्वत राशि की सफेद रंग की थैली को अपने हाथो से छूआ है अथवा नही। इस कारण श्री अशोक कुमार साँखला आर.ए.ए. के दोनो हाथो के धोवन की प्रक्रिया करवाया जाना आवश्यक होने के कारण ट्रेप बॉक्स से अन्य दो साफ गिलासों को निकलवाकर उन्हे श्री अशोक कुमार सांखला के उक्त सरकारी निवास मे बने वॉशवेशन मे उक्त दोनो कांच के गिलासो को साफ पानी से घुलवाया। उक्त राजकीय आवास मे रखे हुए पानी मे से एक जग मे साफ पानी भरवाकर मंगवाया। जिसमे से उक्त दोनो गिलासो मे साफ पानी भरवाकर उनमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर सभी सम्बन्धितों को दिखाया गया। सभी हाजरीन ने उक्त दोनों गिलासों के घोल का रंग साफ होना स्वीकार किया। इसके बाद एक गिलास के घोल में आरोपी अशोक कुमार साँखला के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो दाहिने हाथ की अगुलियों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया तो उन्होने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को कॉच की दो साफ शीशीयों में आधा--आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादी श्री इकबाल सिंह एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर धोवन की शीशीयों पर मार्क AR-1, AR-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया।

तत्पश्चात दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री अशोक कुमार साँखला के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो बांये हाथ की अगुलियों के धोवन का रंग हल्का मैटमैला हो गया। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया तो उन्होने धोवन का रंग हल्का मैटमैला होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को कॉच की दो साफ शीशीयों में आधा--आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादी एवं दोनो आरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर धोवन की शीशीयों पर मार्क NL-1, NL-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया।

इस पर श्री अशोक कुमार साँखला से पूछा गया कि आपने अभी अपने स्पष्टीकरण मे रिश्वत राशि के नोटो की थैली को अपने हाथो मे लेने से मना किया है फिर आपके दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी कैसे हो गया। इस पर श्री अशोक कुमार सांखला ने कहा कि यह मुझे पता नही। हो सकता है बात बात मे ही इस इकबाल ने नोटो की थैली को मेरे दाहिने हाथ के टच कर दिया हो। इस पर परिवादी श्री इकबाल सिंह ने कहा कि साहब यह अशोक कुमार जी झूंठ बोल रहे है। मैने इनको इनके द्वारा मांगी गई थैली की राशि देने आया तब पहले इनको दी थी तब इन्होने अपने दाहिने हाथ मे लेकर मुझे वापस देते हुए नितिन के आने पर उसे देने हेतु कहा था तथा नितिन के आने पर उसे दिलवाया था।

तत्पश्चात हाजरीन के समक्ष ही श्री नितिन कुमार को रिश्वत राशि कहाँ रखी है, के बारे मे पूछा गया तो नितिन ने रिश्वत राशि सफेद रंग की थैली मे ही अपनी स्कुटी की डिग्गी मे रखी हुई होना तथा स्कुटी श्री अशोक कुमार सांखला के राजकीय आवासीय परिसर के अन्दर ही होना बताई। इस पर नितिन कुमार से उसकी स्कुटी की डिग्गी को खोलकर उसका अवलोकन करवाने हेतु कहा गया तो नितिन कुमार ने अपने पास रखी हुई चाबी से स्कूटी की डिग्गी को खोला तो उसमे एक अलार्म घडी के पास ही एक सफेद रंग की थैली रखी हुई मिली। इस पर गवाह श्री वैभव उपाध्याय से उक्त सफेद रंग की थैली को निकाल कर उसमे रखी हुई राशि को चैक करने हेतु कहा। इस पर स्कुटी की डिग्गी मे से श्री वैभव उपाध्याय ने सफेद रंग की थैली को निकालकर उसमे 2000--2000 रूपये के नोटो की रबर बैण्ड से बंधी हुई तीन गड्डी होना बताया। इस पर उक्त बरामदशुदा नोटो को गिनकर एवं नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से करने हेतु दोनो गवाहान को कहा जिस पर दोनो गवाहन ने बरामदशुदा नोटो मे 2000--2000 रूपये के नोटो की दो गड्डी मे 100-100 नोट एवं एक गड्डी मे 50 नोट कुल 250 नोट राशि पाँच लाख रूपये होना तथा नोटो के नम्बरो का हुबहु मिलान होना बताया। इस पर बरामदशुदा उक्त नोटो के नम्बरों का

विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया जाकर उपरोक्त नोटो के नम्बरो का पुनः मिलान करवाया जाने पर मिलान सही होना पाया जाने पर उक्त बरामदशुदा नोटो की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त सभी नोटो एवं उक्त थैली को एक साथ एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित रखकर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बरामदशुदा राशि पांच लाख रूपये के नोटो को वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी. लिया गया।

तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से एक कांच के गिलास को निकलवाकर उसे साफ पानी से धुलवाकर उसमे साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार करवाया जाकर सभी सम्बन्धितो को दिखाया गया, तो सभी ने गिलासों के घोल का रंग साफ होना स्वीकार किया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक साफ रूई लेकर उसको उक्त गिलास के घोल में डूबोकर रूई के फौवे को आरोपी श्री नितिन शर्मा की स्कुटी बरंग सफेद नं. आर जे 14 वाई जे 8890 की डिग्गी मे जिस स्थान से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उस स्थान पर गीले रूई के फौवे को फेरकर उसको पूनः गिलास के घोल मे डूबोकर उसका धोवन लिया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे हाजरीन को दिखया गया तो सभी ने धोवन का रंग हलका गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को कॉच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर धोवन की शीशीयो पर मार्क SD-1, SD-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया तथा रूई के फौवे को अच्छी तरह से सुखाकर उसे एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखकर कपडे की थैली को सील्ड मोहर करके उस पर मार्क C अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी लिया गया। परिवादी से पूर्व में प्राप्त किये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर को प्राप्त करके उसे चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन–देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री इकबाल सिंह पूनियाँ एवं आरोपीगण श्री अशोक कुमार साँखला, आर.ए.ए. एवं श्री नितिन शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के मोबाईल फोन जो उपयोग मे लिये जा रहे थे, को प्राप्त करके उनके पासवर्ड संबंधितो से पूछकर मोबाईलो का अवलोकन किया गया तो श्री अशोक कुमार सांखला की दिनांक 21.04–2022 से ट्रेप कार्यवाही समय 12.29 बजे तक इनकी श्री नन्नूमल पहाडियाँ, नितिन शर्मा एवं परिवादी श्री इकबाल के मध्य आपस मे वार्तालाप जरिये व्हाटसएप/ फेस लाईन वार्तालाप होना पायी गई। जिनके स्क्रीन शॉट लेकर उनके प्रिन्ट निकलवाकर उन पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी श्री इकबाल सिंह पूनियाँ एवं आरोपीगण श्री अशोक कुमार साँखला, आर.ए.ए. एवं श्री नितिन शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) से अलग– अलग एवं एक साथ करके आपस मे कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो उक्त सभी ने ना तो आपसी रंजिश होना या ना ही रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने बाबत बताया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 5.10 पी.एम. पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका घटना स्थल तैयार कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 5.35 पी.एम. पर श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन श्री बृज लाल मीणा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं श्री वैभव उपाध्याय, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के समक्ष आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया की मौजूदगी में जिला कलक्टर के एयरमार्क राजकीय आवास जिसमे श्री नन्नूमल पहाडिया निवास कर रहा है, की खाना तलाशी की कार्यवाही सम्पन्न की गई, जिसकी श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पृथक से फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की जाकर मय बरामदशुदा संदिग्ध राशि 1,00,000 रू0 सहित फर्द खाना तलाशी अग्रिम कार्यवाही हेतु मय उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की गई, जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 07.00 पी.एम. पर आरोपी श्री नितिन शर्मा प्राईवेट व्यक्ति दलाल स्कुटी नं. RJ 14 YJ 8890 मेक होण्डा एक्टीवा 6 जी बरंग सफेद जिसकी डिग्गी से रिश्वत राशि बरामद की गई है, को जरिये फर्द जब्त कर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला की मौजूदगी में आरोपी अशोक कुमार सांखला के सरकारी, जिसमे उक्त आरोपी निवास कर रहा है, की खाना तलाशी की कार्यवाही सम्पन्न की गई, जिसकी पृथक से फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की जाकर संलग्न पत्रावली की गई। बाद पूछताछ एवं उक्त ट्रेप कार्यवाही से उजागर हुए तथ्यो के आधार पर आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया पुत्र स्व. श्री छोटे लाल जाति खटीक, उम्र 59 साल, निवासी 220 श्री गोपाल नगर, महेश नगर पुलिस थाना महेशनगर जिला जयपुर तत्कालीन जिला कलक्टर अलवर के विरूद्व जुर्म धारा 7, 7 ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत कारित होना पाया जाने पर उक्त आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया तत्कालीन जिला कलक्टर अलवर को समय 09.15 पी. एम. पर एवं श्री अशोक कुमार साँखला पुत्र स्व. श्री प्रभाती लाल सांखला, उम्र 41 साल, जाती खटीक, निवासी ई–503 ग्रीन एवेन्यू, आशादीप मोतपुरा हाल भू–प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर हाल निवासी एआर जी- 7 सिविल लाईन अलवरको समय 09.40 पी.एम. पर तथा समय 10.00 पी.एम. पर आरोपी श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा, उम्र 29 साल निवासी पूराना बस स्टैण्ड रोड कल्लुगाड, खण्डेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर हाल पेशा ड्राइवर एवं वाहन कॉन्ट्रैक्टर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

तत्पश्चात दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री इकबाल सिंह के समक्ष परिवादी श्री इकबाल सिंह एवं आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर, अलवर के मध्य दिनांक 22.04.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन के क्रम में परिवादी के मोबाईल नं. 8696630197 से आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया, जिला कलक्टर के मोबाईल नं. 9414033400 पर समय 10.16 ए.एम. पर हुई वाटसअप कॉल वार्ताओ की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाकर रिकॉर्ड वार्तालाप को तीन खाली सी.डी. मे डाऊन–लोड एवं सेव करवाकर सी.डी. तैयार करवाई जाकर उन्हे मार्क ''ए–1'', ''ए–2'', एवं ''ए–3'' से चिन्हित की गई। मार्क शुदा सीडी–ए–1 तथा ए–2 को पृथक पृथक प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर, कवर सहित सीडीयों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का ए–1, ए–2 अंकित किया जाकर सिलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादी इकबाल सिंह के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा मार्क शुदा सीडी ए–3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 02.30 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री विजय सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी, एसीबी जाब्ता मय ट्रैप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप कार्यवाही के दौरान जब्त / सील्ड शुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि, संदिग्ध राशि के मय गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान को हमराह लेकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण/कोविड–19 जॉच करवाने एवं गिरफ्तारशुदा आरोपीगण को रात्रि सुरक्षार्थ हवालात में बन्द करवाने हेतु राजकीय सामान्य चिकित्सालय, अलवर, पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर / एसीबी कार्यालय अलवर के लिए रवाना होकर आरोपीगणो का राजकीय सामान्य चिकित्सालय, अलवर मे स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री नन्नूमल पहाडिया, श्री अशोक कुमार सांखला एवं श्री नितिन शर्मा को रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर की हवालात में बन्द करवाकर मय हमराहियान के रवाना होकर एसीबी कार्यालय, अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया ट्रेप बॉक्स, कार्यवाही में जब्त/ सिल्डशुदा आर्टिकल्स एवं रिश्वती राशि व संदिग्ध राशि को सुरक्षित कार्यालय में रखवाया गया तथा परिवादी व गवाहान के समक्ष अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई।

दिनांक 24.04.2022 को समय 04.15 ए.एम. पर परिवादी श्री इकबाल सिंह एवं आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के मध्य दिनांक 23.04.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन के क्रम में आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के मोबाईल नं0 9414046660 से परिवादी श्री इकबाल सिंह के मोबाईल नं0 8619914400 पर समय 09.36 ए0एम0 पर हुई कॉल वार्ता एवं रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार कर वार्ता को तीन खाली सीडी मे डाऊन लोड एव सेव करवाकर सी.डी. तैयार करवाई जाकर उन्हे मार्क ''बी–1'', ''बी–2'', एवं ''बी–3'' से चिन्हित की गई। मार्क शुदा सीडी मार्क बी–1 तथा बी–2 को पृथक पृथक प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर, कवर सहित सीडीयों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का बी –1, बी –2 अंकित किया जाकर सिलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादी इकबाल सिंह के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा मार्क शुदा सीडी बी –3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.00 ए.एम. पर परिवादी श्री इकबाल सिंह एवं आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला, भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर व आरोपी श्री नितिन शर्मा, प्राईवेट व्यक्ति के मध्य दिनांक 23.04.2022 को रिश्वती लेन–देन के समय हुई रूबरू वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार कर वार्ताओं को तीन खाली सीडी मे डाऊन लोड एवं सेव करवाकर सी.डी. तैयार करवाई जाकर उन्हे मार्क ''सी–1'', ''सी–2'', एवं ''सी–3'' से चिन्हित की गई। मार्क शुदा सीडी मार्क सी–1 तथा सी–2 को पृथक पृथक प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर, कवर सहित सीडीयों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का सी –1, सी –2 अंकित किया जाकर सिलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादी इकबाल सिंह के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा मार्क शुदा सीडी सी –3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त रिकॉर्ड वार्ताओ मे परिवादी इकबाल सिंह ने अपनी स्वंय एवं आरोपीगण सर्व श्री नन्नूमल पहाडिया, श्री अशोक कुमार साँखला एवं श्री नितिन शर्मा की आवाज होने की पहचान की। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के फोल्डर नं. 05 मे रिश्वत माँग सत्यापन दिनांक 22.04.2022 को हुई वार्तालाप, फोल्डर नं0 03 में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 23.04.2022 को हुई वार्तालाप रिकॉर्ड की हुई है तथा फोल्डर नं0 01 में रिश्वत लेन–देन के समय दिनांक 23.04.2022 को हुई वार्तालाप रिकार्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर संबंधितो परिवादी, उक्त दोनो गवाहान एवं मन् ट्रेप अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। समय 12.30 पी.एम. पर उक्त ट्रैप कार्यवाही में प्रयोग में ली गई कार्यालय की नमूना ब्राशसील नं. 33 का नमूना फर्द पर अंकित कर उसे बाद कार्यवाही दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू तुडवाकर नष्ट करवाई गई। जिसकी फर्द नष्टीकरण नमूना ब्राशसील नं. 33 पृथक से

तैयार करवा जाकर सम्बन्धित के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 01.00 पी. एम. पर यह कार्यवाही पूर्ण कर परिवादी श्री इकबाल सिंह एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री बृज लाल मीणा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं श्री वैभव उपाध्याय, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय को ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम अलवर से मराकन के लिये रवाना किया गया एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त शुदा रिश्वती राशि 5,00,000 रूपये, संदिग्ध राशि 1,00,000 रूपये एवं सिल्डशुदा समस्त आर्टिकल्स को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स को कार्यालय में रखवाया गया।

उक्त कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री नन्नूमल पहाडीया तत्कालीन जिला कलक्टर अलवर एवं श्री अशोक कुमार साँखला भू-प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के राजकीय आवासो की ली गई खाना तलाशी के दौरान मिली विदेशी एवं अंग्रेजी विभिन्न ब्राण्ड की महगी शराब की बोतलें उनके राजकीय आवासो पर पाये जाने पर नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्थानिय पुलिस थाना कोतवाली को निर्देशित किया गया जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली द्वारा मौके पर मय टीम के पहुंच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की गई।

अब तक सम्पन की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से परिवादी श्री इकबाल सिंह पूनियाँ की लिखित रिपोर्ट दिनांक 22.04.2022 पर ब्यूरो मे प्रचलित प्रक्रियानुसार दिनांक 22.04.2022 को ही परिवादी श्री इकबाल को आरोपी श्री नन्नूमल पहाडियाँ के पास भिजवाकर रिश्वत की माँग का गोपनीय सत्यापन करवाने पर आरोपी श्री नन्नूमल पहाडिया द्वारा परिवादी श्री इकबाल से अपनी चार माह की बकाया मंथली की राशि 16 लाख रूपये की माँग करना सत्यापित हुआ तथा इसी क्रम मे दिनांक 23.04.2022 को श्री अशोक कुमार साँखला से करवाई गई रिश्वत की माँग के गोपनीय सत्यापन से उनके द्वारा भी अपना स्वंय के लिये 2.00 लाख एवं जिला कलक्टर श्री नन्नुमल पहाडिया के लिये 16 लाख रूपये की रिश्वत की माँग करने की पुष्टि होने पर दिनांक 23.04.2022 को ही नियमानुसार अग्रिम ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर आरोपी श्री अशोक कुमार साँखला द्वारा परिवादी से अपनी एवं जिला कलक्टर की मांग अनुसार बकाया मंथली राशि मे से पाँच लाख रूपये की राशि बतौर रिश्वत अपने स्वंय एवं श्री नन्नूमल पहाडिया के लिये पहले स्वंय द्वारा प्राप्त कर परिवादी को अपने दलाल नितिन को देने हेतु वापस लौटाना एवं अपने दलाल श्री नितिन शर्मा को जरिये मोबाईल अपने राजकीय निवास पर बुलाकर परिवादी से दलाल नितिन को रिश्वत राशि दिलवाना एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि दलाल श्री नितिन शर्मा की सफेद रंग की स्कुटी की डिग्गी से बरामद होने पर उक्त आरोपीगण श्री नन्नूमल पहाडियाँ तत्कालीन जिला कलक्टर अलवर एवं श्री अशोक कुमार साँखला भू-प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा बहैसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपने पदीये कर्त्तव्यो मे भ्रष्टतम आचरण अपना कर श्री नितिन शर्मा प्राईवेट व्यक्ति से आपसी मिलीभगत एवं षडयंत्र रचकर परिवादी श्री इकबाल सिंह पुनियाँ द्वारा किये जा रहे दिल्ली-बडौदरा एक्सप्रेस ग्रीन फील्ड सडक निर्माण कार्य को निर्बाध सुचारू रूप से चलने देने एवं उसमे कोई प्रशासनिक अडचन पैदा नही करने एवं परिवादी के क्रेशर संचालन मे सहयोग करने की कहते हुए श्री नन्नूमल पहाडिया द्वारा अपने स्वयं के लिये चार लाख रूपये प्रतिमाह के हिसाब से माह नवम्बर 2021 से माह फरवरी 2022 तक की बकाया 16 लाख रूपये की मंथली राशि की बतौर रिश्वत मांग करना एवं श्री अशोक कुमार साँखला द्वारा श्री नन्नू मल पहाडिया तत्कालीन कलेक्टर अलवर के लिये 16 लाख एवं अपने स्वयं के लिये दो लाख की रिश्वत राशि की माँग कर एक लाख रूपये की बकाया मंथली राशि बतौर रिश्वत प्राप्त करने हेतु सहमत होकर दिनांक 23.04.2022 को अपनी उक्त माँग के क्रम मे उपरोक्त रूप से पांच लाख रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने से उपरोक्त आरोपीगणो का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादसं. के तहत कारीत होना पाया जाने पर गिरफ्तार किया गया है।

अतः आरोपीगण (1) **श्री नन्नूमल पहाडिया पुत्र स्व. श्री छोटे लाल जाति खटीक, उम्र 59साल, निवासी** 32, श्री गोपाल नगर, महेश नगर पुलिस थाना **महेशनगर जिला जयपुर तत्कालीन जिला कलक्टर** अलवर, **(2) श्री अशोक** कुमार साँखला **पुत्र स्व. श्री प्रभाती लाल सांखला, उम्र 41 साल, जाती खटीक,** निवासी **ई-503 ग्रीन एवेन्यू, आशादीप जगतपुरा हाल भू-प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी** अलवर हाल निवासी अलवर जी-7 सिविल **लाईन अलवर एवं (3) श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री अशोक** कुमार शर्मा, उम्र 29 साल निवासी **पूराना बस स्टैण्ड रोड कल्लुपाडा, खण्डेलवाल धर्मशाला के सामने** अलवर हाल पेशा ड्राइवर एवं वाहन **कॉन्ट्रैक्टर** के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर की सेवार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर (राज.)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-द्वितीय, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण (1) श्री नन्नूमल पहाडिया पुत्र स्व. श्री छोटे लाल जाति खटीक, उम्र 59साल, निवासी 220 श्री गोपाल नगर, महेश नगर पुलिस थाना महेशनगर जिला जयपुर तत्कालीन जिला कलक्टर अलवर, (2) श्री अशोक कुमार साँखला, भू-प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर एवं (3) श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा, उम्र 29 साल निवासी पुराना बस स्टैण्ड रोड कल्लुपाडा, खण्डेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर हाल पेशा ड्राइवर एवं वाहन कॉन्ट्रैक्टर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 140/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1235-39 दिनांक 25.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

25/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर